No:. 698/ लवनिर्गा-30 दिनांक 4.4.2022

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, SITTING AT NEW DELHI

Compliance Report of the Order dated
08th Sepetember, 2021

In Re.

Original Application No. 208/2019

Sandeep Kumar Singh **Applicant**

Versus

State of UP & Ors. **Respondent**

WITH

Original Application No. 299/2020
(I.A. No. 01/2021 & I.A. No. 02/2021)

Surendra Singh **Applicant**

Versus

Ministry of Environment, Forests &
Climate Change & Ors. **Respondent(s)**

WITH

Original Application No. 193/2020
(I.A. No. 297/2020 & I.A. No. 298/2020)

Avinash Kumar Ray **Applicant**

Versus

Ministry of Environment, Forest &
Climate Change & Ors. **Respondent(s)**

WITH

Execution Application No. 02/2021
IN
O. A. No. 193/2020 (I.A. No. 20/2021)

Avinash Kumar Ray **Applicant**

Versus

Ministry of Environment, Forest &
Climate Change & Ors. **Respondent(s)**

To,

The Hon'ble Chairperson,
And the other Hon'ble Members,
of this Hon'ble Tribunal

The humble compliance report of the order dated 08.09.2021, passed by this Hon'ble Tribunal, in the above mentioned Original Applications are being submitted as under :-

1. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 08.09.2021 in **I.A. No. 07/2021**, was pleased to direct as under:-

> ***"5. In view of settled law that to give effect to 'Precautionary' and 'Sustainable Development' principles, replenishment potential must be assessed, we see no justification for SEIAA along with SEAC undertaking such study based on the available data, with the assistance of any other Expert/Institution. What is required is that the ownership of study must be taken by the statutory body. The effort appears to be otherwise to disown such responsibility which cannot be appreciated. SEIAA, UP along with SEAC may perform its statutory duty to comply with directions of this Tribunal at the earliest.***
>
> ***I.A. No. 07/2021 stands disposed of accordingly."***

2. That in the 8th year of Republic of India for development of minerals and regulation of mines, the Parliament enacted the ***Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957*** (hereinafter called as the said Act, 1957), which came into force with effect from 30.06.1958.

3. That under the provisions of Section 3, clause (e) of the said Act, 1957, the minor minerals have been defined as building stone, gravel, ordinary clay, ordinary sand (other than the sand used for the prescribed purposes) any other mineral, which the Central Government may, by notification in the official gazette, declare it to be minor mineral.

4. under the provisions section 15 of the said Act, 1957, the State Governments are authorized to frame the Rules for regulating the grant of quarry leases, mining leases or any other mineral concession in respect of minor minerals, and for the purposes connected therewith, by notification in the official gazette.

5. That in exercise of the powers conferred under section 15, of the said Act, 1957, the State Government framed the ***Uttar***

Pradesh Minor Mineral (Concessions) Rules, 1963 (hereinafter referred as the said Rules, 1963), which was subsequently superseded by Notification No.1157/86-2021-(03) (Sa)/2021, dated 29.10.2021 and published in the ***Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021***(hereinafter referred as the said Rules,2021).

6. That under the provisions of the said Rules, 1963, there are two types of concessions – firstly the mining lease, secondly the mining permit. The mining leases can be granted in two ways – firstly, by declaring the availability of the area and thereafter determining the preference in favour of most suitable applicant; and secondly by holding the auction by e-tender-cum-e-auction process, and accept such offers, which are highest and satisfactory, for available quantity on such area. The mining permits are granted under the provisions of Chapter VI, by way of e-tender for a period up to six months, realizing the amount of royalty in advance on the term & condition that after removal of the permitted quantity or on the expiry of the period, whichever is earlier, the mining permit will lapse automatically, and in any case, the permit holder is not entitled to make any request for the refund of the deposit in any case.

7. That the Government of India, Ministry of Environment, vide Notification No.S.O. 1533 (E), dated 14.09.2006, making environmental clearance compulsory for the mining of minerals on those areas, whose extent was 5 Hectares or more.

8. That in the case of Deepak Kumar Vs. State of Haryana & others (2012) 4 SCC 629, vide order dated 27.02.2012, the Hon'ble Supreme Court was pleased to direct the Central Government for taking steps to bring into force the Minor Minerals Conservation & Development Rules, 2010 at the earliest. The Hon'ble Supreme Court further directed that theState Governments, Union Territories should also take immediate steps to frame necessary Rules under Section 15of

the said Act, 1957, taking into consideration the recommendation of MoEF and its report of March 2010 and model guidelines framed by the Ministry of Mines, Government of India. The Hon'ble Supreme Court was also pleased to order that in the meantime, the leases of the minor minerals, including their renewal, for an area of less than 5 Hectares, be granted by the States/ Union Territories, only after getting environmental clearance from MoEF.

9. That in Uttar Pradesh, the mining leases of minor minerals, i.e., of sand and morrum are being granted for a period of 5 years, by e-tender-cum-e-auction process in favour of those bidders, who offer highest and satisfactory bid pet cubic metre of mineral. Before advertising the area, the replacement studies are doneand thereafter, the annual estimated quantity for particular area is decided, and in the advertisement it is specifically mentioned that the bidder must satisfy himself regarding the availability of the minor mineral on the area and the approach road for transportation of such mineral.

10. That for Environmental impact assessment (E.I.A.) study ministry of environment and forest and climate change (MoEF&CC) has propounded Sustainable sand mining management guidelines 2016 and enforcement and monitoring guidelines for sand mining 2020. In compliance of this Guidelines Government of Uttar Pradesh has issued a Government order no 790(1)/86-2020 dated 01.06.2020. As per this Government order, Government of Uttar Pradesh has constituted a team of officials of Department of Geology and Mining, Revenue Department, Forest Department and Irrigation Department, who give recommendation for any new area to be included or any change in D.S.R.(District survey report). Till November 2022 a total of 296 areas has been added in District survey report (D.S.R.) in different districts of Uttar Pradesh.

That in district Banda after proper study of replacement of Sand/Morrum on the areas the 'District Survey Report' (herein after referred as DSR) was prepared and loaded on District Administration Portal and objection of the public domain were

also invited and after considering the objection the DSR finalised by the committee constituted by the Government of Uttar Pradesh on 23.11.2017.

11. That in Compliance of Hon'ble NGT order dated 02.07.2021 OA no. 140/2021 Raj Kumar Versus State of UP and OA no. 141/2021 Ram Karan karn Versus State of UP, D.M Banda has authorised C.M.P.D.I (Central mine planing and Design Institute limited), a public sector enterprise of Government of India to do the replenishment study of rivers flowing in district Banda on dated 28.10.2021 C.M.P.D.I has started the replenishment study of rivers of banda district and the work is on progress. Its report will be soon provided to the hon'ble NGT.

The copy of the order of D.M Banda dated 11.10.2021 and consent letter of C.M.P.D.I dated 19.10.2021 being annexed herewith as **Annexure No.1**, to this compliance report.

12. That if the bid found to be highest and satisfactory per cubic metre then a letter of intent is issued in favour of such bidder and thereafter, the applicant should obtain approval on its mining plan and environmental clearance from the competent authority; and thereafter the mining lease is executed in his favour.

13. That in the lease deed, the following terms are specifically mentioned:-

(i) The mining operations are to be carried only up to the depth of 3 metres, or up to the water level, whichever is less;

(ii) The safety zone should be worked out;

(iii) The mining operations will be done in accordance with the scheme mentioned in the Mining Plan;

(iv) The lessee will be bound to obey the terms and conditions of the environmental clearance;

(v) The mining will be done after sun-rise till sun-set;

(vi) In the monsoon season, no mining will be done;

(vii) Heavy machinery and Suction Machines will not be used for excavation of the mineral;

(viii) No temporary bridge or hinderance will be created in the flow of river water during the lease period;

(ix) That the Central Government framed Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 with object of managing un-controlled sand mining in India.

14. That the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India also framed Enforcement and monitoring Guidelines for Sand Mining in January 2020.

15. That list of mining leases, granted in District Banda for excavation of sand &morrum, at present, is being annexed herewith as **Annexure No.2**, to this compliance report.

16. Thar at this time, total 17 mining leases are in operation in Banda district and they have proper environmental clearances, as well as the consent under the provisions of ***"Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981."***

17. That in compliance of the order dated 26.02.2021, passed by this Hon'ble Tribunal in ***O.A. No.360 of 2015 (National Green Tribunal Bar AssociationVs.Veerendra Singh (State of Gujarat & others),*** 5 members Committee has been constituted by the District Officer, Banda, vide office order No.2892/Khanij-30 Banda, dated 14.12.2021. In the said Monitoring Committee, the members as under:-

1. Divisional Forest Officer, Banda - Chairman
2. Mines Officer/Mines Inspector/ Surveyor, Mines Department, Banda Member
3. Executive Engineer, Irrigation & Water Resources department, Banda- Member
4. Concerned Tehsildar - Member
5. Regional Officer, Pollution Control Board, Banda - Member Secretary.

A copy of the said office order dated 14.12.2021 issued by the District Officer, Banda,is being annexed herewith as **Annexure No.3**, to this compliance report.

18. That the said Enforcement Committee is regularly watching the mining activities of 17 areas and if any lessee is found to violate the above mentioned terms and conditions, then after issuing the notice, necessary proceedings are initiated against him.

19. That in the Headquarters, Lucknow, as well as in the districts, Surveillance Systems have also been installed for prevention of over-loading of minerals, as well as without transit passes, and due to this so many electronic challans are automatically created and served on the lessees for recovery of Government dues of such mineral.

20. That in view of aforesaid submission, it is evident that in district Banda all rules & regulation and directions of this Hon'ble Tribunal are being complied in its sprit and there are no lapse or disobedience of any order passed by this Hon'ble Tribunal.

21. That vide order dated 08.09.2021 passed in Execution **Application No. 02/2021 in O.A. No. 193/2020** This Hon'ble Tribunal was pleased to direct as under :-

> ***"7. We have considered the application. The applicants may serve a copy of the application to the concerned authorities/parties who may look into the matter and file their respective response, apart from taking such action as may be found necessary, as per law.***
>
> ***The matter may now be listed for further consideration on 10.11.2021.***
>
> ***A copy of this order be forwarded to the SEIAA, UP, UP State PCB, Secretaries of Mining, Forest, Irrigation, UP and Revenue Departments, UP and all District Magistrates of UP. The Member Secretary, SEIAA, UP may provide a copy of this order to the Chairman and Members of SEAC, UP."***

22. That it is humbly submitted the copy of the Execution Application No. 02/2021 in O.A. No. 193/2020, Avinash Kumar Ray v. Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. has not been received in the office of District Officer, Banda till today.

23. That due to non availability of said original application the reply could not filed within granted period.

24. That so for the mining lease in respect of River Bed of Ken River in (Gata No-Part of 1141, 1137, 1136, 1132/2, 1125, 1127, 1131 and 1132 located at Village Bhurendi, Khand No.2 Block No. 08, Tehsil Banda, District- Banda, Uttar Pradesh spread over an Area of 37.00 hectare, annual permitted quaintly 7,40,000 cubic meter has been canceled vide order dated 29.01.2022 **Annexure No.4,** due to nonpayment of monthly in statement by the lessee.

25. That the status report could not be filed within time, as directed by this Hon'ble Tribunal due to deployment of the officers on election duty; and I also beg pardon for such delay.

Place: Banda
Dated:

24/4/2022

(Anurag Patel)
District Officer,
Banda.

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 2063 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : अक्टूबर 11 ,2021

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–140 व 141 वर्ष 2021 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 के अनुपालन में जनपद बांदा स्थित नदियों के Replenishment study के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक (व्यवसाय विकास)
सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड,
कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी/भारत सरकार का एक लोक उपक्रम,
गोन्दवाना प्लेस, कॉके रोड, रांची–834031 झारखण्ड।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–सीएमपीडीआई/बी.डी./ए(003)ऑफर/E–535811/1–12551 दिनांक 04.08.2021 व पत्र दिनांक 02.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद बांदा के केन, यमुना व बागे नदियों मे स्थित खनन क्षेत्रो में उपलब्ध बालू/मोरम के सम्बन्ध में मानसून सत्र के बाद Replenishment study करने सम्बन्धी प्रस्ताव दिये गये है और उक्त कार्य के निमित्त कुल रू0 24,00,000/– (चौबीस लाख रूपये मात्र) के भुगतान समय–समय पर किये जाने के उपरान्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त भुगतान के समय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। खनिज निदेशालय के पत्र सं0–393/एम0–एन0जी0टी0 वाद–बांदा/2021 दिनांक 12.08.2021 से निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली–2017 के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जाने के निमित्त न्यास निधि का उपयोग किये जाने सम्बन्धी निर्देश के क्रम में उक्त कार्य हेतु आपकी संस्था को अपेक्षित धनराशि का भुगतान डी0एम0एफ0 मद से किये जाने हेतु मत व्यक्त किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 खनिज फाउण्डेशन न्यास बांदा की शासी परिषद व प्रबन्ध समिति की हुई बैठक दिनांक 09.10.2021 के अनुसार आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उल्लिखित धनराशि रू0 24,00,000/– के साथ–साथ जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत) की धनराशि रू0 4,32,600/– कुल धनराशि रू0 28,32,600/– (अट्ठाईस लाख बत्तीस हजार छः सौ रूपये मात्र) की स्वीकृति दिनांक–09.10.2021 को प्रदान कर दी गयी है।

उक्त के क्रम में **आपके पक्ष में** जनपद बांदा के केन, यमुना व बागे नदियों मे स्थित खनन क्षेत्रो में उपलब्ध बालू/मोरम के सम्बन्ध में मानसून सत्र के बाद Replenishment study करने सम्बन्धी कार्य करने हेतु **कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है तथा** प्रथम किश्त के रूप में रू0 24,00,000/– का 30 प्रतिशत रू0 7,20,000/– के साथ ही 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1,29,600/– **कुल धनराशि रू0 8,49,600/– (आठ लाख उन्चास हजार छः सौ रूपये मात्र)** आपके पत्र दिनांक 04.08.2021 के बिन्दु सं0–07 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरण करने हेतु शाखा प्रबन्धक, इंडियन बैंक, सिविल लाइन, बांदा को निर्देशित किया जाता है।

अतः आप अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 04.08.2021 व 02.09.2021 में उल्लिखित शर्तो एवं समयावधि के अन्तर्गत खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बांदा के मोबाईल नं0–8887534774, ईमेल–bandadgmmo@gmail.com से सम्पर्क स्थापित कर उक्त नदियों में Replenishment study कार्य को तत्काल प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

–2–

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0), बाँदा।
4. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा।
5. जिला खान अधिकारी, बाँदा।
6. शाखा प्रबन्धक, इंडियन बैंक, सिविल लाइन, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के नाम से इलाहाबाद बैंक में खोले गये खाता सं0—50403685280 से **उक्त धनराशि रू0 8,49,600/—** उपरोक्त संस्था के **पत्र दिनांक 04.08.2021 (छायाप्रति संलग्न)** के बिन्दु सं0—07 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरण करना सुनिश्चित करें तथा हस्तांतरण की रसीद खान अधिकारी, बांदा को उपलब्ध कराये।

जिलाधिकारी
बाँदा।

सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमि...
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी / भारत सरकार का एक लोक ...)
गोन्डवाना प्लेस, कांके रोड, राँची - 834 031, झारखंड (भा...)
Central Mine Planning & Design Institute Limi...
(A Subsidiary of Coal India Limited / Govt. of India Public Sector Underta...
Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 834 031, Jharkhand (IND...
CORPORATE IDENTITY NUMBER - U14292JH1975GOI0012...

cmpdi
A Mini Ratna Company
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Letter No. CMPDI/Env/2021 Dated October 19, 2021

To
Mr Anil Kumar Sharma
Additional Director
Directorate of Mines and geology
Khanij Bhawan 27/8, Raja Ram Mohan Rai Marg,
Lucknow-226001 (U.P.)

Subject: Meeting with Officials from DMG, Lucknow and DMG, Banda for undertaking San... Replenishment Study in Banda District

Dear Sir,

This has reference to letter no. 2063 dated 11th October, 2021 from District Magistrate Banda addressed to GM (Business Development), CMPDI with copy to you amongst others. for undertaking sand replenishment study in Banda District, in compliance of Judgement passed by Hon'ble NGT on 2/07/2021 related to OA No. 140 and 141 of 2021.

CMPDI Team will reach Lucknow on 27/10/2021 afternoon and will have meeting with DMG officials on 27/10/2021. On 28/10/2021, the CMPDI team will start for Banda for field inspection and discussion with DMG and other officials. The team will return to Lucknow on 29/10/2021.

It is requested to kindly arrange for accommodation for three persons in Lucknow and Banda. A vehicle may kindly be provided for travel to Banda and back to Lucknow.

Thanking you,

Yours faithfully

(Abhijit Sinha)
General Manager (Env)

फोन नम्बर/Phone No. : 0651-2230055
फैक्स नम्बर/Fax No. : 0651-2230055
ई-मेल/E-mail: gmenv.cmpdi@coalindia.in
वेब साईट/Website : www.cmpdi.co.in

संयुक्त जांच आख्या

जिलाधिकारी महोदय, बांदा के आदेश सं0–2892/खनिज–30, बांदा दिनांक 14.12.2021 के अनुपालन में जनपद बांदा में बालू/मोरम के स्वीकृत खनन पट्टा/परमिट क्षेत्रो की जांच आख्या क्षेत्रवार निम्नवत है :–

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम व पता	पट्टान्तरित क्षेत्र का विवरण					निर्धारित वार्षिक मात्रा (घ0 मी0 में)	खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति
		तहसील	ग्राम/खदान का नाम	गाटा सं0	क्षेत्र फल (हे0 में)	नदी का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मेसर्स के0 एण्ड एस, कत्यैना शर्मा पुत्री स्व0 आर0के शर्मा, नि0 ई–528 ग्रेटर कैलाश पार्ट II, नई दिल्ली।	बांदा	मरौली खादर	333/7 का भाग, 418, 421मि व 426/30 (खण्ड सं0–3)	23.00	केन	460000	1. जांच का दिनांक :– **23.03.2022** 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग सूखा है।** 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :– **42 प्रतिशत** 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2024 तक निर्गत है।
2.	साहू इलेक्ट्रिकल्स स्टोर प्रो0 श्री मनीष साहू पुत्र श्री सन्तशरण साहू नि0–बड़ीहाट महोबा, तह0 व जिला महोबा	बांदा	मरौली खादर	333/7 का भाग (खण्ड सं0–02)	22.00	केन	440000	1. जांच का दिनांक :– **23.03.2022** 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है।** 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :– **41 प्रतिशत** 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।

3.	मे0 वी0पी0 कान्सट्रक्शन प्रो0 श्री विजय पाल प्रजापति पुत्र श्री बौरा प्रजापति निवासी म0नं0–जे–49, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, थाना पी0जी0आई0, जिला लखनऊ	बांदा	मरौली खादर	333/7 का भाग, 412, 413 व 414 (खण्ड सं0–04)	23.00	केन	460000	**1.** जांच का दिनांक :– **23.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढ़ो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **45 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।
4.	मे0 जे0एस0 इण्टर प्राईजेज पार्टनर श्री बलविन्दर सिंह पुत्र श्री सत्यपाल सिंह निवासी–हाउस नं0–96/ए, नकोरा (128), जिला सिरसा (हरियाणा)	पैलानी	खप्टिहांकलां	100 का भाग (खण्ड सं0–03)	16.00	केन	3,20,000	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढ़ो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **38 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।

5.	श्री विपुल त्यागी पुत्र श्रीरविन्द्रकान्त त्यागी निवासी–म0नं0–319 नूरनगर सिहानी, तहसील व जिला गाजियाबाद	पैलानी	अमलोर खादर	176मि, 172ग, 182 व 187	25.29	केन	505800	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **38 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2024 तक निर्गत है।
6.	एस0आर0 इनोवेशन एल0एल0पी0 पार्टनर श्री सुरेन्द्र पुनिया पुत्र श्री धर्मपाल पुनिया निवासी–1051 सेक्टर, 17बी इफ्को कालोनी, गुडगांव	पैलानी	खपटिहाकलां	100 का भाग (खण्ड सं0–01)	16.00	केन	320000	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **46 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।
7.	महादेव कान्सट्रक्शन प्रो0 श्री रामकुमार शास्त्री पुत्र श्री महादेव प्रसाद निवासी–जी0एच0–183 दीनदयाल नगर, दशाहरा मैदान, जिला ग्वालियर(म0प्र0)	नरैनी	बिल्हरका	05 का भाग व 09 का भाग	15.165	केन	303300	कार्यालय अभिलेखो के अनुसार किश्त की धनराशि जमा न करने के कारण माह दिसम्बर–2021 से खनन एवं परिवहन कार्य बंद है। सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।

8.	थिंकहोम इन्फ्राबुल्ड प्रा0लि0 निदेशक श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी पुत्र श्री दिवाकर प्रसाद त्रिपाठी निवासी–589ख/323 सुभाष नगर, तेलीबाग, लखनऊ	बांदा	मरौलीखादर	332/17, 333/7 का भाग व 431/333/1 (खण्ड सं0–06)	23.00	केन	4,60,000	कार्यालय अभिलेखो के अनुसार किश्त की धनराशि जमा न करने के कारण माह जनवरी–2022 से खनन एवं परिवहन कार्य बंद है। सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।
9.	मे0 जय मां सिद्धिदात्री बिल्डटेक प्रो0 श्री प्रमोद तिवारी पुत्र श्री राजनारायण तिवारी निवासी–नरौली, पो0–बीजापुर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी	बांदा	जौहरपुर	खण्ड सं0–01	15.00	यमुना	300000	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **36 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।
10.	मे0 त्रिपाठी कान्ट्रैक्टर, प्रो0 श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी निवासी इलाहाबाद रोड शोभा सिंह का पुरवां कर्वी तहसील कर्वी जिला चित्रकूट(उ0प्र0)	बांदा	अछरौड़	1130 का भाग (खण्ड संख्या–1)	10.70	केन	2,14,000	**1.** जांच का दिनांक :– **23.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **34 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2023 तक निर्गत है।

11.	मे0 गौरी कंस्ट्रक्शन प्रो0 श्री रामलखन तिवारी पुत्र श्री रामसजीवन निवासी मो0–सर्वोदयनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा	अतर्रा	तेरा(ब) खनन परमिट	1749ख, 1766 व 2421	23.07 एकड़	बागे	46,700	**1.** जांच का दिनांक :– **23.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **34 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** जांच के समय खनन एवं परिवहन कार्य विगत 02 माह से बंद पाया गया।
12.	श्री अजीत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री जय सिंह मल्होत्रा निवासी–अलका टाकीज के पास, नेहरू वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म0प्र0)	पैलानी	अमलोर खादर खनन परमिट	7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40 177 व 176मि	62.49 एकड़	केन	2,52,900	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **34 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2021 तक निर्गत है।

13.	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कमल राज सिंह निवासी–म0नं0 सी–297, निराला नगर, थाना हसनगंज, जिला लखनऊ	बांदा	भवानीपुरवां	5137, 5138, 5139, 5140 व 5141	4.00	केन	80,000	**1.** जांच का दिनांक :– **23.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **55 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।
14.	मे0 पहलवान ट्रेडर्स प्रो0 श्री कैलाश सिंह यादव पुत्र श्री राम वृक्ष सिंह यादव निवासी–म0नं0–1095, उपहार एल्डिको उद्यान–II, रायबरेली रोड, थाना पी0जी0आई0, जिला लखनऊ	पैलानी	खैरई	2/1, 2/2 व 2/4	5.80	केन	1,16,000	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **70 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।

15.	मे0 श्री फाल्गुन गिरि माइन्स पार्टनर श्री आलोक कुमार शुक्ला पुत्र श्री गोपाल चन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम–किशनुपर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर	अतर्रा	चन्दौर	2494	7.80	बागे	78,000	**1.** जांच का दिनांक :– **23.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **80 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2023 तक निर्गत है।
16.	मे0 ओमप्रकाश राम औतार प्रो0 रेनू गुप्ता पत्नी सत्य प्रकाश गुप्ता निवासी–128/346, एच0 ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर	पैलानी	खपटिहा कलां	455	23.00	केन	4,60,000	**1.** जांच का दिनांक :– **22.03.2022** **2.** क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 90 प्रतिशत भाग सूखा है।** **3.** क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** **4.** भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** **5.** बालू/मोरम की उपलब्धता :– **80 प्रतिशत** **6.** क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** **7.** क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** **8.** अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** **9.** सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।

17.	श्री मंजीत चावला निवासी–जी0 201 प्रीत विहार, दिल्ली।	बांदा	कनवारा	53 व 337 का भाग, खण्ड सं0 2	14.65	केन	2,93,000	1. जांच का दिनांक :– **23.03.2022** 2. क्षेत्र में जल की स्थिति :– **सम्पूर्ण भाग का 80 प्रतिशत भाग सूखा है।** 3. क्षेत्र में उपलब्ध गड्ढो की गहराई :– **अधिकतम 03 मी0** 4. भारी मशीनों के उपयोग की स्थिति :– **चिन्ह नही मिले।** 5. बालू/मोरम की उपलब्धता :– **80 प्रतिशत** 6. क्षेत्र के बाहर खनन की गड्ढो की स्थिति :– **शून्य** 7. क्षेत्र के सुरक्षा जोन की स्थिति :– **सुरक्षित** 8. अस्थाई पुल अथवा जल प्रवाह में क्षेत्र के बाहर व अन्दर कोई छेड़छाड़ की गयी है अथवा नही :– **कोई निर्माण नही देखा गया।** 9. सन्दर्भित उद्योग को राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति दिनांक 31.12.2022 तक निर्गत है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

मानचित्रकार/सर्वेक्षक
बाँदा।

खान निरीक्षक
बाँदा।

खान अधिकारी
बाँदा।

तहसीलदार
बाँदा।

तहसीलदार
अतर्रा।

तहसीलदार
नरैनी।

तहसीलदार
पैलानी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
बाँदा।

वैज्ञानिक सहायक
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा

क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 2892 / खनिज–30, बाँदा   दिनांक : दिसम्बर 14, 2021

"कार्यालय आदेश"

ओ0ए0 संख्या–360 वर्ष–2015, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम वीरेन्द्र सिंह (स्टेट ऑफ गुजरात) तथा अन्य सम्बन्धित ओ0ए0 में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से निर्गत शासकीय पत्र संख्या–NIC–137 / 81–7–2021 दिनांक 09.09.2021 एवं ओ0ए0 नं0–208 वर्ष–2019, सन्दीप कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं अन्य सम्बन्धित ओ0ए0 में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2021 के अनुपालन में बालू / मोरम के खनन क्षेत्रो में Sustainable Sand Mining Management Guidelines - 2016 के अनुसार खनन संक्रियाओं को Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining - 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशो के अनुसार निगरानी कर स्थिति तैयार करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :–

1.	प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा।	**अध्यक्ष**
2.	खान अधिकारी / खान निरीक्षक / सर्वेक्षक, खनिज विभाग, बांदा।	**सदस्य**
3.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बांदा।	**सदस्य**
4.	सम्बन्धित तहसीलदार।	**सदस्य**
5.	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।	**सदस्य–सचिव**

अतः उपरोक्त गठित समिति को आदेशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त मामले में पारित आदेशों का विधिवत अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये जनपद में बालू / मोरम के स्वीकृत / निष्पादित खनन परिहारो के प्रत्येक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक तीन माह में तथ्यात्मक स्थिति तैयार कर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगें तथा उक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 (ई–मेल soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (ई–मेल ms@uppcb.com) को तत्काल प्रेषित किये जाय।

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा।
4. सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. खान अधिकारी / खान निरीक्षक / सर्वेक्षक, खनिज विभाग, बांदा।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, बांदा।
8. तहसीलदार, बांदा / नरैनी / पैलानी / अतर्रा / बबेरू।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

"आदेश"

शासनादेश सं0—1875/86—2017—57(सा0)/2017 टी0सी0—1 लखनऊ दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई—निविदा सह ई—नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—1963 के अध्याय—4 के प्राविधानो के अन्तर्गत जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम—भूरेड़ी के गाटा सं0—1141 का भाग, 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1127, 1131 व 1132 कुल रकबा 37.00 हे0 में उपलब्ध 7,40,000 घन मी0 बालू/मोरम प्रतिवर्ष को खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के विज्ञप्ति सं0—47/ खनिज—30, बांदा दिनांक 06.09.2017 द्वारा घोषित किया गया था।

उक्त विज्ञप्ति के क्रम में कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि0 पता—दयाशंकर, रतना मंदिर ज्वैलर्स, बाकरगंज रोड, दरियापुर पटना (बिहार) निदेशक श्री सुदामा कुमार पुत्र श्री रामेश्वर राम निवासी ग्राम—परेव, थाना बिहटा, जिला पटना (बिहार) द्वारा रू0 800.00 प्रति घन मी0 की दर से सर्वाधिक ई—निविदा सह ई—नीलामी बोली बोलने पर उनके पक्ष में सहमति—पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) सं0—1808/खनिज—30 बांदा दिनांक 28.10.2017 को जारी करते हुये उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—1963 के नियमो के तहत प्रतिभूति तथा प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त जमा करने हेतु तथा अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय—समय पर यथा संशोधित उपबन्धो के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।

कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि0 निदेशक श्री सुदामा कुमार द्वारा प्रतिभूति की धनराशि रू0 14,80,00,000/— व प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त रू0 14,80,00,000/— जमा किया गया तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ से अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिनांक 02.03.2019 प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नियमानुसार देय स्टाम्प पर कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि0 पता—दयाशंकर, रतना मंदिर ज्वैलर्स, बाकरगंज रोड, दरियापुर पटना (बिहार) निदेशक श्री सुदामा कुमार पुत्र श्री रामेश्वर राम निवासी ग्राम—परेव, थाना बिहटा, जिला पटना (बिहार) व राज्य सरकार के मध्य उक्त नियमावली—1963 के नियम—29 के तहत खनन पट्टा विलेख का निष्पादन कराते हुये उसका पंजीयन कराया गया, जिससे उक्त खनन पट्टा अवधि निष्पादन के दिनांक 08.03.2019 से 07.03.2024 तक पांच वर्ष हेतु निर्धारित की गयी। जिसमें उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—1963 के नियम—27(3) के तहत चतुर्थ अनुसूची के अनुसार निष्पादित खनन पट्टा विलेख के भाग—2 में प्रथम वर्ष की पट्टा धनराशि तथा अनुवर्ती वर्षो में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किश्तो का निर्धारण समावेशित किया गया।

पट्टाधारक द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 25.09.2019 व 03.10.2019 द्वारा उक्त खनन पट्टे में मात्रा निर्धारण कराने सम्बन्धी अनुरोध को इस कार्यालय के पत्र सं0—3696/खनिज—30, बांदा दिनांक 11.12.2019 द्वारा विधिविरूद्ध, आधारहीन एवं तथ्यो से परे होने के फलस्वरूप निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया, जिसके अनुसार पट्टाधारक द्वारा मा0 न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा में अपील सं0—01278/2019 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 19.12.2019 को आदेश पारित किया गया कि **"जिलाधिकारी बांदा को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली—1963 के नये नियम—23(4) के अन्तर्गत दी गयी विधि व्यवस्था के अनुक्रम में दो सप्ताह के अन्दर शासन द्वारा प्राविधिक समिति का गठन कराकर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण कराया जाय। तदोपरान्त मात्रा निर्धारण के क्रम में सहमति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाय।"** जिसके विरूद्ध जिलाधिकारी बांदा द्वारा शासन में पुनरीक्षण याचिका सं0—22(आर)/एस0एम0/2020 योजित की गयी। उक्त योजित निगरानी याचिका में दिनांक

—2—

29.09.2020 को आदेश पारित किया गया कि **"मा0 आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा अपील सं0–01278/2019 में पारित आदेश दिनांक 11 (19).12.2019 को निरस्त किया जाता है। आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिलाधिकारी बांदा को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया जाय।"**

पट्टाधारक के प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.01.2020 को दृष्टिगत रखते हुये उक्त नियमावली–1963 में किये गये 47वां संशोधन के अनुसार नियम–27(3) के अनुक्रम में चतुर्थ अनुसूची में निर्धारित त्रैमासिक किश्तो को पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्तो में इस कार्यालय के आदेश सं0–749/खनिज–30 बांदा दिनांक 23.06.2020 द्वारा निर्धारित किया गया।

पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टे में प्रथम वर्ष की चारो त्रैमासिक किश्त चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा किया गया है। द्वितीय वर्ष की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार देय प्रथम किश्त की धनराशि रू0 16,28,00,000/– तथा अन्य बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ग्राम–लहुरेटा का खनन पट्टा विलेख निष्पादन करने हेतु नोटिस सं0–239/खनिज–30, बांदा दिनांक 26.05.2020 दी गयी, जिसके विरूद्ध पट्टाधारक शासन में पुनरीक्षण याचिका सं0–81(आर)/एस0एम0/2020 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 28.09.2020 को आदेश पारित किया गया कि **"बालू/मोरम खनन क्षेत्र ग्राम–लहुरेटा, तहसील नरैनी गाटा सं0–195/1 के खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि निगरानीकर्ता समस्त बकाया धनराशि 30 अक्टूबर, 2020 तक जमा करेगें किन्तु यदि निगरानीकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा जिलाधिकारी आदेश दिनांक 26.05.2020 के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगें।"** जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गयी, जिससे पट्टाधारक को पुनः कारण बताओं नोटिस सं0–2898/खनिज–30, बांदा दिनांक 17.11.2020 दी गयी, जिसके विरूद्ध शासन में पुनरीक्षण याचिका सं0–177(आर)/एस0एम0/2020 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 17.12.2020 को यह आदेश पारित किया गया कि **"जिलाधिकारी बांदा द्वारा पारित नोटिस/आदेश दिनांक 17.11.2020 को निरस्त करते हुये उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता पर बालू खनन क्षेत्र ग्राम–भूरेड़ी तहसील बांदा के सम्बन्ध में देय समस्त धनराशि को शासनादेश दिनांक 30.10.2020 के अनुसार समयान्तर्गत जमा कराने के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उनके पक्ष में आवंटित बालू खनन क्षेत्र ग्राम–लहुरेटा तहसील नरैनी का खनन पट्टा विलेख निष्पादित करना सुनिश्चित करें। यदि निगरानीकर्ता द्वारा शपथ–पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जिलाधिकारी बांदा अपने आदेश के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 13.01.2021 नियत की जाती है।"**

पट्टाधारक द्वारा कोई धनराशि जमा न किये जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश सं0–3062/खनिज–30, बांदा दिनांक 28.11.2020 द्वारा ग्राम–लहुरेटा के खनन पट्टे में जमा प्रतिभूति की धनराशि व प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त की धनराशि जब्त करते हुये उक्त के लिये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट दिनांक 28.10.2017 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध पट्टाधारक द्वारा शासन में पुनरीक्षण याचिका सं0–181(आर)/एस0एम0/2020 योजित की गयी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 द्वारा आदेशित किया गया कि **"उपरोक्त शपथ–पत्र (दिनांक 07.01.2021) को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व हित में जिलाधिकारी बांदा को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता से उपरोक्तानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुये उनके पक्ष में खनन पट्टा विलेख का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि निगरानीकर्ता द्वारा शपथ–पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया**

जाता है तो जिलाधिकारी बांदा आदेश दिनांक 28.11.2020 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगें।''

पुनः उक्त निगरानी सं0–177(आर)/एस0एम0/2020 में दिनांक 22.01.2021 को आदेश पारित किया गया कि **''प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 07.01.2021 को सुनवाई सम्पन्न हुई निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व जिलाधिकारी बांदा के प्रतिनिधि खान अधिकारी बांदा भी उपस्थिति थे। प्रश्नगत खनन क्षेत्र ग्राम–लहुरेटा गाटा सं0–195/1 रकबा 33.00 हे0 तहसील नरैनी जनपद बांदा का पट्टा विलेख पुनरीक्षण याचिका सं0–181(आर)/एस0एम0/2020 में पारित आदेश के अनुसार दिनांक 12.01.2021 में देय समस्त धनराशि को शासनादेश दिनांक 30.10.2020 के अनुसार जमा कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके है। अतः उपरोक्त के आधार पर निगरानी निर्णित की जाती है।''**

पट्टाधारक द्वारा मा0 न्यायालय, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के समक्ष की गयी उपरोक्त अपील सं0–01278/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2019 के सन्दर्भ में SEIAA के समक्ष दिनांक 23.05.2020 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके सम्बन्ध में Factual Report प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये तथा SEAC की 506वीं बैठक दिनांक 01.12.2020 के कार्यवृत्त बिन्दु सं0–12 में उल्लिखित है कि प्रश्नगत खनन पट्टे हेतु जारी पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र दिनांक 02.03.2019 को Abeyance किया गया है। इस कार्यालय के पत्र सं0–4248/खनिज–30, बांदा दिनांक 06.03.2021 द्वारा Factual Report पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित किया गया है परन्तु अभी–तक पट्टाधारक के उक्त प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में SEIAA से कोई सूचना प्राप्त नही है।

अतएवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र के Abeyance के पूर्व पट्टाधारक द्वारा द्वितीय वर्ष में (पंचम अनुसूची के अनुसार) माह नवम्बर–2020 तक कुल देय धनराशि रू0 39,07,20,000/– (शासनादेश दिनांक 17.04.2020 के अनुसार कार्य न किये जाने के कारण माह अप्रैल–2020 में देय किश्त में छूट) में से पट्टाधारक द्वारा शपथ–पत्र दिनांक 07.01.2021 के पूर्व समय–समय पर रू0 10,41,20,000/– तथा शपथ–पत्र दिनांक 07.01.2021 के क्रम में रू0 3,50,00,000/– कुल रू0 13,91,20,000/– जमा किया गया है, **शेष धनराशि रू0 25,16,00,000/– बकाया देय है।**

उक्त खनन पट्टे में प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त से द्वितीय वर्ष की छठा किश्त (माह नवम्बर–2020 तक) (शासनादेश दिनांक 17.04.2020 के अनुसार कार्य न किये जाने के कारण माह अप्रैल–2020 में देय किश्त में छूट) तक कुल देय पट्टा धनराशि के सापेक्ष 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि **रू0 1,96,54,400/– (एक करोड़ छियानवे लाख चौवन हजार चार सौ रूपये मात्र)** तथा कुल देय पट्टा धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 की धनराशि **रू0 9,82,72,000/– (नौ करोड़ बयासी लाख बहात्तर हजार रूपये मात्र) जमा नही किया गया है।**

पट्टाधारक को उक्त बकाये के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1176/खनिज–30, बांदा दिनांक 31.07.2020 व पत्र सं0–3294/खनिज–30, बांदा दिनांक 29.12.2021 द्वारा नोटिस दी गयी परन्तु उनके द्वारा पट्टा धनराशि, टी0सी0एस0 व डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि जमा नही की गयी और न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई जवाब दिया गया।

उक्त खनन पट्टा क्षेत्र से 02 वाहन ओवरलोड पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र सं0–3871/खनिज–30, बांदा दिनांक 31.12.2019 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस देते हुये स्पष्टीकरण मांगते हुये उक्त नियमावली नियम–41(झ) का उल्लंघन होने के कारण नियमानुसार नियमावली के नियम–59(6) के अनुसार शास्ति की **कुल धनराशि रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) जमा करने हेतु संसूचित किया गया परन्तु पट्टाधारक द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया और न ही कोई धनराशि** जमा की गयीं

राजस्व विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.01.2020 को उक्त पट्टे की जांच/माप किये जाने पर प्राप्त आख्या के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 04 पिट्सो पर कुल 5605 घन मी0 बालू/मोरम अवैध खनन/परिवहन पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र सं0–4155/खनिज–30, बांदा दिनांक 27.01.2020 द्वारा रायल्टी, खनिज मूल्य व अर्थदण्ड **कुल रू0 52,44,500/–** जमा करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस पट्टाधारक को दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गयी और न ही जवाब दिया गया।

खनन सर्वेक्षक बांदा, खान निरीक्षक बांदा व खान अधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 19.03.2020 को उक्त पट्टे की जांच/माप किये जाने पर प्राप्त आख्या के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से सटा रिक्त क्षेत्र कनवारा ग्राम में 06 पिट्सो पर कुल 8114.02 घन मी0 बालू/मोरम अवैध खनन/परिवहन पाया गया तथा स्वीकृत क्षेत्र में मौके पर 360 डिग्री दृश्यता के चार सी0सी0टी0वी0 कैमरे व सीमा स्तम्भ/साइन बोर्ड लगा हुआ नही पाये जाने के कारण इस कार्यालय के कारण बताओं नोटिस सं0–56/खनिज–30, बांदा दिनांक 01.05.2020 द्वारा **कुल धनराशि रू0 1,23,77,618/–** जमा करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस पट्टाधारक को दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गयी और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्सम्बन्ध में पट्टाधारक को पुनः कारण बताओं नोटिस सं0–2611(1)/खनिज–30 बांदा दिनांक 21.10.2020 दी गयी, जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा दिनांक रहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी के सामने उक्त जांच नही की गयी है और न ही प्रश्नगत जांच रिपोर्ट प्रार्थी को उपलब्ध कराया गया है। सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा सीमा स्तम्भ व साईन बोर्ड लगे हुये है। प्रार्थी द्वारा उक्त कथन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है तथा उक्त कारण बताओं नोटिसो द्वारा पट्टाधारक के खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है, जिससे प्रश्नगत स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही है।

राजस्व विभाग व खनन विभाग एवं नगर मजिस्ट्रेट व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बांदा द्वारा दिनांक 15.06.2020 को उक्त पट्टे की जांच/माप किये जाने पर प्राप्त आख्या के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में मौके पर 18 पोकलैण्ड/जे0सी0बी0/टाटा हिटौची आदि भारी मशीनो से पानी में बालू/मोरम का खनन करते हुये पाया गया, पट्टा क्षेत्र से सटा रिक्त क्षेत्र ग्राम–कनवारा में 05 पिट्सो में कुल 10494.30 घन मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया, खनन पट्टा क्षेत्र के 38 वाहन ओवरलोड मिले, जिन्हे भी चौकी प्रभारी भूरागढ़ की

अभिरक्षा की अभिरक्षा में दिया गया है, के कारण इस कार्यालय के कारण बताओं नोटिस सं0–670 / खनिज–30, बांदा दिनांक 19.06.2020 द्वारा **कुल धनराशि रू0 1,17,94,870 /–** जमा करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस पट्टाधारक को दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गयी और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्सम्बन्ध में पट्टाधारक को पुनः कारण बताओं नोटिस सं0–2847 / खनिज–30 बांदा दिनांक 09.11.2020 दी गयी, जिसके सम्बन्ध में पट्टाधारक द्वारा दिनांक रहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें सरसरी तौर पर उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कोई अवैध खनन, ओवरलोडिंग नही की गयी है और मशीनों को प्रयोग नियमावली के प्राविधानो के तहत किया गया है तथा प्रार्थी को उक्त जांच आख्या की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी है तथा उसकी अनुपस्थिति में जांच की गयी है। प्रार्थी उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, नियमो के तहत खनन कार्य में भारी मशीनों का उपयोग किया जाना वर्जित है तथा पानी में मशीनों से खनन नियमानुसार दण्डनीय अपराध है। अतएवं पट्टाधारक के स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नही है।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–59(1) में प्राविधानित है कि **"राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात की वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयो को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उसपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।**
(2) इस नियमावली के उपबन्धो को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम–(1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्ही अन्य देयो पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जारी करेगा।"

ऐसी दशा में उक्त नियमावली–2021 के नियम–59 के अनुसार जमा प्रतिभूति की धनराशि रू0 14,80,00,000 /– को कुल बकाया पट्टा धनराशि में समायोजित किया जाना नियमानुसार है। इस प्रकार नियम–59 के अन्तर्गत पट्टा धनराशि में प्रतिभूति समायोजित किये जाने के उपरान्त **(25,16,00,000 – 14,80,00,000)** = **रू0 10,36,00,000 /– (दस करोड़ छत्तीस लाख रूपये मात्र)** पट्टा धनराशि की किश्त तथा **टी0सी0एस0 की धनराशि रू0 1,96,54,400 /– (एक करोड़ छियानवे लाख चौवन लाख चार सौ रूपये मात्र), डी0एम0एफ0 की धनराशि रू0 9,82,72,000 /– (नौ करोड़ बयासी लाख बहात्तर हजार रूपये मात्र) बकाया है।** उक्त के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार अवैध खनन, ओवरलोडिंग, नियमो का उल्लंघन व पोकलैण्ड मशीनों द्वारा पानी में खनन की क्रमशः धनराशि रू0 50,000 /–, रू0 52,44,500 /–, रू0 1,23,77,618 /– व 1,17,94,870 **कुल रू0 2,94,66,988 /– (दो करोड़ चौरानवे लाख छाछठ हजार नौ सौ अठ्ठासी रूपये मात्र) बकाया है।**

अतः खनन पट्टाधारक कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि0 पता–दयाशंकर, रतना मंदिर ज्वैलर्स, बाकरगंज रोड, दरियापुर पटना (बिहार) निदेशक श्री सुदामा कुमार पुत्र श्री रामेश्वर राम निवासी ग्राम–परेव, थाना बिहटा, जिला पटना (बिहार) द्वारा प्रस्तुत अवैध खनन व परिवहन तथा नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरणों को निरस्त करते हुये **उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 42(झ), 58, 59, खनन पट्टा विलेख की शर्तो के उल्लंघन होने व उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका में दिये गये शपथ–पत्र दिनांक 07.01.2021 के अनुसार बकाया धनराशि जमा न किये जाने के कारण जनपद बांदा की तहसील बांदा स्थित ग्राम–भूरेड़ी के गाटा सं0–1141 का भाग, 1137, 1136, 1123/2, 1125, 1127, 1131 व 1132 कुल रकबा 37.00 हे0 में केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत बालू/मोरम के 05 वर्षीय (08.03.2019 से 07.03.2024 तक) खनन पट्टा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये 02 वर्ष हेतु काली सूची में डाला जाता है** और उपरोक्त बकाया पट्टा धनराशि **रू0 10,36,00,000/–**, टी0सी0एस0 की धनराशि **रू0 1,96,54,400/–** व डी0एम0एफ0 की धनराशि **रू0 9,82,72,000/–** तथा अवैध खनन, ओवरलोडिंग, नियमो का उल्लंघन व पोकलैण्ड मशीनों द्वारा पानी में खनन की उपरोक्तानुसार कुल धनराशि **रू0 2,94,66,988/–** की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराने हेतु पृथक–पृथक वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया जाय।

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी, बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 272 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : जनवरी 29 ,2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कात्यायनी नेचुरल रिसोर्सेज लि0 पता–दयाशंकर, रतना मंदिर ज्वैलर्स, बाकरगंज रोड, दरियापुर पटना (बिहार) निदेशक श्री सुदामा कुमार पुत्र श्री रामेश्वर राम निवासी ग्राम–परेव, थाना बिहटा, जिला पटना (बिहार)

जिलाधिकारी
बाँदा।